2/5/22 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अप्राप्त। अधीनस्थ न्यायालय को अर्द्धशासकीय पत्र जारी हो। पूर्वादेशानुसार पत्रावली दिनांक 18/05/2022 को पेश हो।

पुनश्च :-
इतना लिखने के पश्चात अपीलांट अधिवक्ता ने एक प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अभाव में बहस सुनी जावे। जिसकी प्रति वकील रेस्पो. को दी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलाषीय

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

आदेश अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधिवक्ता की गलती की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती है। अतः अपील स्वीकार करवाई जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। जानबूझकर न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं आये। यदि न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार किया जाता है तो भारी कोस्ट के साथ स्वीकार करवाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। मूल दावे का निस्तारण तकनीकी बिंदु पर पारित किया गया। अधिवक्ता की गलती की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती है। अपीलांटगण को अपना दावा गुणावगुण पर निस्तारण का अवसर दिया जाना न्यायोचित है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.07.2019 को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः नंबर पर दर्ज करने के

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिये जाते है कि हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण करें। पत्रावली के शाखा धारक नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो आदेश खुले इजलास में सुनाया गया।	
	राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर	